import is only 30,000 tonnes. The hon. Member should go to them and tell them that it is not necessary for them to sell the rubber at that price. I have already assured that we are not going to release the rubber in such a fashion that the prices go down too much and if there is escalation of the price too much, we will certainly release the rubber and we will try to keep the plants running. You are trying to protect the interests of the growers. I can understand that. But while trying to do that, you are trying to attack the Government and the imports. While doing that you are creating a psychology that there is a glut in the market. Don't create that psychology ; only certain vested interests would benefit by that. You are all the time saying that there is import and there are a lot of imports (*Interruptions*) All of you are saying that we are importing rubber in a large quantity. Why do you say that ? It is not necessary for you to say that. If you say that, the prices are likely to go down. This is how we respond to this kind of phenomenon.

SHRI E. BALANANDAN : I did not say anything. I have only said that the prices are crashing.

SHRIMATI SUSEELA GOPALAN : Out of 1000 tonnes of rubber produced every day, only 200 tonnes are lifted. What is the way out ? Naturally they will sell it at distress prices. Only 200 tonnes are lifted. That is why the demand is coming from Kerala that the Rubber Board should go and purchase rubber and build up a buffer stock. 800 tonnes remain there unsold. You have to consider this and you should build a buffer stock.

SHRI GEORGE JOSEPH MUNDACKAL (Muriattupuzhe) : Now the production is the maximum. Some factories in the north are not lifting rubber due to strikes, labour trouble, power cut and lock-outs. And they are not also stocking rubber for 6 weeks as per the original understanding.

MR DEPUTY SPEAKER : Have you brought it to the notice of the Rubber Board !

SHRI GEORGE JOSEPH MUNDACKAL : The Rubber Marketing Federation is there. The STC is there and the Rubber Pool Fund is also there. But somebody has to go and purchase rubber. Otherwise you cannot lift the rubber from the market. I request the Minister to rush to the market and purchase the surplus rubber from the cultivators.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Very unwittingly we are falling in the trap. We have not imported rubber in a very large quantity.. (*Interruptions*) I have been telling that you are putting forth only those points which can help in creating psychology of glut in the market. Now you say that there is some strike soing on or that power is not available and rubber is imported. What is going to happen in the price front ! Unwittingly you are supporting the glut. Please do not do that.

MR. DEPUTY SPEAKER : Now the question is :

> "That the Bill further to amend the Rubber Act, 1947, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR DEPUTY SPEAKER : Now, we shall take up clause-by-clause consideration.

The question is :

> "That clause 2 to 6 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 6 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI SHIVRAJ V PATIL : I beg to move :

> "That the Bill be passed."

MR DEPUTY SPEAKER : The question is :

> "That the Bill be passed."

The motion was adopted.

13·06 hrs.

LIMESTONE AND DOLOMITE MINES LABOUR WELFARE (AMENDMENT) BILL.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI DHARMAVIR) : Sir, I beg to move that the Bill to amend the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972, be taken into Consideration.

[SHRI V. N. GADGIL *in the Chair*]

As the hon Members are already aware, the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972, was enacted to provide or levy and collection of a cess

[Shri Dharmavir]

on limestone and dolomite for the financing of activities to promote the welfare of persons employed in the limestone and dolomite mines. The Act and the Rules of 1973 framed thereunder were brought into force with effect from 1st December, 1973. The rate of cess leviable under the Act has been fixed under the Rules at 20 paise per metric tonne of limestone and dolomite covered under the Act.

Since the inception of the Fund till the end of financial year 1980-81 over rupees four crores have been collected by way of cess out of which over Rs. 2·3 crores have been spent on various welfare measure contemplated under the Act for the limestone and dolomite mine workers. 49,752 limestone and 7,527 dolomite mine workers employed in these mines are thus covered under this Act.

Besides limestone, there are other calcareous deposits *viz.* limeshell, calcareous sand and sea-sand essentially composed of limeshell, marl, kankar or limekankar. These are similar in chemical composition to limestone and are also used in the cement factories. Such mineral deposits should generally have been treated as limestone and covered under the Act, but could not be covered under the Act, in the absence of the definition of the limestone in the Parent Act. The number of workers reported to be engaged in the minings of the calcareous sand, lime kankar, kankar and limeshell during 1980 was 4978 and the total production 19,48,000 tonnes during 1980. Consumption of these minerals in cement factories was reported to be 10,43,714 tonnes. The production of marl has not been reported.

The intention in defining limestone is, therefore, to levy and collect cess on the consumption of these minerals as well, which is expected to be around Rs. 2 lakhs per annum, and to provide the same welfare facilities to these about 5000 workers who have been denied the welfare amenities, due to them, only due to this technical lacuna. The cess will, however, be levied on the consumption/sale/disposal of these minerals after this amended Act is brought into force.

The Act has been administered on the basic premise that the duty is leviable, under section of the principal Act, not only when the owner of limestone or dolomite uses the limestone or dolomite for the manufacture of cement, iron or steel, but also when he uses it for other industrial purposes. Such an intention has been challenged by the concerned parties. Recently, in an appeal under the rules made under the Act, the view has been taken that an owner of limestone and dolomite mine who uses the limestone or dolomite produced in his mine, for purposes other than the manufacture of cement, iron or steel, is not liable to the payment of cess under the Act. Consequently about Rs. 9 lakhs which have been levied on chemical factories, for the purpose, could not be collected. Also if such a view is accepted, the Government will have to not only refund the cess collected earlier but also incur recurruing loss of about Rs. 5·75 lakhs per annum.

The intention in amending Section 3 and 4 of the Act is, therefore, to explicitly bring out our intention, to put all the disputes at rest and the intention of the validation clause is to enable the Government to validate the cess levied and collected and also to collect the cess levied but not collected due to the legal, disputes as aforesaid.

The other amendments proposed in the Bill are of minor nature. The Advisory Committee under the Act may at times feel the need to co-opt the members, to ensure that the various concerns are represented in these committees and may also like to have expert advice. To meet such eventualities, the Bill intends to empower committees to co-opt members.

The powers of inspection of the factories and mines can, at present, be exercised only by inspection by Welfare Administrators. The Welfare Commissioners who rank above the welfare administrators are also to be conferred with such powers.

Similarly, to keep truck of disposal of the minerals, the statistical details require to be collected not only from the mine owners/occupiers of facsories, but also from the purchasing agents and stockists. This will ensure strict vigilance over cess coll3ction.

I do not think that there is anything else relating to this Bill which requires explanation or specific comment. The matter, as the House will see, is urgent, Therefore, I am keen that this Bill be put on the Statute Book as early as possible.

With these words, I beg to move that the limestone and Dolomite Mines Labour Welfare (Amendment) Bill, 1982 be taken into consideration and passed.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill to amend the Limestone stone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972, be taken into consideration."

SHRI AJIT BAG (Serampore): Mr. Chairman, Sir, with your Permission I will speak on the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund (Amendment) Bill, 1982".

There is very little scope for discussion on this Bill. It only seeks to provide a proper definition of 'Limestone' and to specify the area of imposition of the levy of excise duty for the purpose of the Welfare Fund. These are only to plug the loopholes that were in the original legislation. There are a few minor amendments too. Sir, I take this opportunity to bring home to this august House the lack of will, on the part of the ruling party.

Sir, they propose to have the powers to co-opt members of the Central Advisory Committee. They have not explained why they propose to do so. We oppose this method. We want that such bodies should be formed democratically to safeguard interst of the workers.

What is the use of forming Committees if they do not function at all? Sir I say this, because only after a lapse of 8 years, the meeting of the Committee was held on January 2, last. The representatives of the CITU and other trade unions rightly took the Government to task for having made the Committee defunct for all practical purposes. Even the agenda of the meeting were not supplied. So, I assert that there is that lack of will on the part of the Government to do good to the workers. If they were really earnest, they would have seen to it that at least the Committee functioned regularly and properly.

Sir, they call it a Labour Welfare Fund. But, is it really so? What benefit do the workers really derive from it? In the Report of the Ministry of Labour, 1981-82, they have claimed to have spent from the Fund Rs. 41.59 Lakhs and Rs. 70.99 lakhs in 1980-81 and 1981-82 respectively, on medical care, housing, education, water supply and recreation.

But they have not mentioned the number of beneficiaries in each case. Had they done so, the hollowness of the claim would have been exposed. I hope the Hon'ble Minister will throw some light on this aspect.

Sir, the fact is that the misery of the workers of the limestone and dolomite mines beggars description. They suffer from fatal diseases. The minerals are severely corrosive. The workers invariably inhale or swallow the vicious dusts which make them easy victims of T.B., cancer and gastroentric troubles. They suffer from severe skin diseases too. Proper medical aid is not provided to them. They live in the most unhealthy conditions. They are deprived of even the minimum amenities that the other mine-workers such as those working in the Iron ore and Manganese ore mines enjoy. Can't the Government force the mine-owners who amass crores of rupees at the cost of toil, sweat and blood of these workers to provide them with such amenities? Why should not they be forced to supply the workers with protective implements like the "Protective Inhalers" developed by the Director General, Factory Advice labour Institute, Bombay?

Why should not the mine-owners provide the workers with proper medical care, mid-day facilities of water supply, educational facilities and such other amenities? Consumption of fat and protein is more than a necessity for the mine-workers. But they are too ill-paid to afford to buy them. Why should not the Government force the mine-owners to supply them free of cost? Sir, if the Government fails to make the mine-owners provide the workers with the facilities, I have already mentioned, they should at least come forward to, provide them from the Welfare Fund. But the Fund, as it is at present must be considered too insufficient for that purpose. The excise duty levied at present very meagre. The rate is 20 paise only per metric tonne.

Sir, there has been an enormous rise in the prices of minerals since 1972 when the principal Act was enacted. Price index of minerals has risen from 114.4 in 1971 to 1216.6 in October 1981-an, increase of 11 times, that is, 1100% increase. Hence there must be another amendment to the principal Act and the rate of levy of excise duty should be at least not exceeding Rs. 10 per metric tonnes. This, I think, will boost up the Fund and enable the authorities, if they have that will, to do some service to the workers, Otherwise, merely expressing good wishes without doing any real welfare to workers will be nothing but a mockery to them.

Sir, the representatives of the CITU in the meeting of the Central Advisory Committee held in January last made some valuable a suggestions for the welfare of the workers.

I fully support them and request the Government, through you, to implement them immediately. They are:

(1) Increase in the grant in aid from Rs. 10.000/- to Rs 15,000 for community centres;

[Shri Ajit Bag]

(2) Shemes for Type II quarters, mid-day meals, buses for school children as in iron and managanese ore mines;

(3) Rs. 50/- p.m. as allowance for domiciliary TB patients ;

(4) Expenses for supply of artificial limbs ; and

(5) Grant of books, etc.

I hope the hon. Minister will kindly note my suggestions and implement them. He should enhance the rate of levy of excise duty and ensure proper functioning of the funds towards the real welfare of the workers.

With these words, I conclude.

श्री गिरधारीलाल व्यास (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस सदन में जो चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने इस प्रकार के बहुत सारे फंड्स स्थापित किये हैं लेकिन देखने की बात यह है कि उन फंड्स को ठीक प्रकार से खर्च किया जा रहा है या नहीं । अमरक के लिए भी आपने ऐसी निधि स्थापित की है । डोलोमाइट के लिए भी आपने यह निधि बनाई है तथा अन्य प्रकार की धातुओं के समबन्ध में भी आपने निधियां कायम की हैं लेकिन फिर भी अभी बहुत से ऐसे मिनरल्स हैं जिनके सम्बन्ध में आपने कोई कदम नहीं उठाया है। पिछले साल भी मैंने इस समबन्ध में आपसे निवेदन किया था कि डो- कदम नहीं उठाया है । पिछले साल भी मैंने इस सम्बन्ध में आपसे किया था कि डोलोमाइट स्टोन और चूना-पत्थर के अलावा और भी इस प्रकार के दूसरे मिनरल्स हैं, जैसे कि सोप-स्टोन है, उसको भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए । पुराने श्रम मंत्री ने यह कहा था कि यह बिल ड्राफ्ट हो चुका है और संसद में पेश किया जा चुका है इसलिए इसमें इस प्रकार के संशोधन लाए नही जा सकते हैं परन्तु कोई दूसरा बिल लाकर आपको इन मिनरल्स को भी कवर करना चाहिए जिनमें कि काफी मजदूर काम करते हैं । मेरे जिले में ही कम से कम 8-10 हजार लोग सोप-स्टोन की खदानों में काम करते हैं । वहां पर इतना बढ़िया सोप-स्टोन निकलता है जोकि दुनिया के बहुत कम स्थानों पर निकलता होगा । उदयपुर में भी निकलता है । इस प्रकार से जगह-जगह पर कई हजार मजदूर इसमें काम करते हैं। यह ऐसा मिनरल है जोकि देश को फारेन एक्सचेंज भी दिलाता है और हजारों मजदूरों की रोटी-रोजी भी चलाता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसी माइन्स को भी इस कानून की तहत लाया जाना चाहिए । अन्यथा उन मजदूरों के साथ बड़ा अन्याय होगा । उनको भी इसका लाभ मिलना ही चाहिए । इसकी व्यवस्था आप जल्दी से जल्दी करें ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने जो डोलोमाइट और लाइम-स्टोन के लिए फण्ड स्थापित किया है उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। आज तक तो जो भी फण्ड आपने स्थापित किए हैं उनका ज्यादातर हिस्सा कर्मचारियों पर ही व्यय कर दिया जाता है । मजदूरों की वेलफेयर एक्टिविटीज पर उनके बच्चों की एजूकेशन पर, उनकी दवा-दारू पर, उनके रेक्रिएशन पर उनके लिए लाइब्रेरी बनाने पर, उनके लिए मकान बनाने पर, उनके लिए पीने का पानी मोहैया करने पर या जो भी दूसरी सहूलियतें हो सकती हैं उन पर इन फण्ड का कितना पैसा व्यय किया जाता है, इसकी तरफ भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं माइका माइन्स वेलफेयर कमेटी में सदस्य हूं । इसलिए मैं कह सकता हूं कि ज्यादा पैसा कर्मचारियों और अधिकारियों पर खर्च हो जाता है, लेकिन वेलफेयर एक्टिविटीज पर बहुत कम पैसा लगता है । जैसे मजदूर के लड़के को पढ़ाने के लिए स्कालरशिप की बात है । आपने 10-20-30 रू. का क्राइटेरिया बना रखा है । मजदूर अपने लड़के को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, टैक्नीकल लाइन में भेजना चाहते हैं, मैडिकल में भेजना चाहते हैं या इन्जीनियरिंग में भेजना चाहते हैं — उनके लिए इन सब जगहों के दरवाजे बन्द हैं । क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है । जिसकी वजह से ये गरीब लोग इस प्रकार की शिक्षा से बंचित रह जाते हैं । इसलिये इस प्रकार की व्यवस्था खास तौर से होनी चाहिए ।

इनके जो हास्टल्स आपने जगह-जगह पर खोल रखे हैं, वहां पर उनके बच्चों के

लिए खाने पीने की ठीक प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए। इस ओर भी देखभाल करने की जरूरत है। यह आपका पुराना ड्रा है, चाहे वह प्रान्तीय सरकार हो या केन्द्रीय सरकार हो कि हमने 10-15-20 रू. खर्च करना है। आप जब देखते हैं कि प्राइसेस में एसकलेशन हो रहा है, चार-चार साल में पैसे की कितनी कीमत बढ़ गई है। वहां जो पैसा दिया जाता है, उससे वहां उनको ठीक तरीके से खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कपड़ों की व्यवस्था हो रही है या नहीं हो रही है, किताबों की व्यवस्था हो रही है या नहीं हो रही है। जो फण्ड आप मुकर्रिर करते हैं, उसका उपयोग लगातार चलता रहता है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिसकी वजह से वहां के होस्टल के लड़कों की लाइफ बहुत खराब हो गई है। जिस पर आपकी तवज्जह जानी चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से महगाई बढ़ती है, उसी प्रकार से आपको होस्टल के बच्चों के लिए ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उनके ऊपर आपकी तवज्जह नहीं जाती है। जिसकी वजह से गरीब लोगों के बच्चों को तकलीफ उठानी पड़ती है। वहां उनको घटिया सामान दिया जाता है। ऐसा सामान जो शायद आप भी खाना न पसन्द करें। जो आपकी वेलफेयर सर्विस में लोग हैं, उनको आपको विशेषकर हिदायतें देनी चाहिए। यदि वहां पर किसी प्रकार की कठिनाई पैदा होती है, तो वह आपको रिपोर्ट करें, उसकी माकूल तरीके से व्यवस्था हो सके। जहां-जहां आपके बड़ी तादाद में मजदूर रहते हैं, चाहे वे बड़ी-बड़ी खदानों में काम करते हों, डोलोमाइट में काम करते हो, हमारे भीलवाड़ा राजस्थान में इसके बहुत बड़े डिपाजिस्ट हैं, वहां उनके बच्चों के लिए कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। डिसपेंसरी की व्यवस्था नहीं है, रिक्रिएशन की व्यवस्था नहीं है और न मैडिकल फैसिलिटीज हैं। मैं खास तौर से कोटा में, बून्दी में भीलवाड़ा के अन्दर और चित्तौड़ के अन्दर और मध्य प्रदेश में मन्दसौर जिला है, जहां पर कि बहुत बड़ी मात्रा में सीमेन्ट के पत्थर के डिपाजिट्स हैं, वहां उन लोगों के लिए कोई फैसिलिटी की व्यवस्था नहीं की गई है। आपने अपनी स्टेटमेन्ट में कहा है कि 4 करोड़ इकट्ठा किया है और ढाई करोड़ खर्च किया है। बाकी पैसा यूं ही पड़ा हुआ है। इन फैसिलिटीज को इन स्थानों पर प्रोवाइड किया जाना चाहिए। जहां 50,000 मजदूर भीलवाड़ा जिले में रहते, हैं इसी प्रकार चित्तोडों, कोटा, बुन्दी और मंदसौर इन सब जिलों में बहुत तदाद में मजदूर इस तरह के काम करते हैं। इनको सारी सुविधाएं दी जानी चाहिए। एजूकेशन, मेडीकल, वाटर, रिक्रिएशन होस्टल आदि सब सुविधाएं दी जानी चाहिए। तब यह व्यवस्था ठीक हो सकेगी। यह नितांत आवश्यक है।

मैं इस बिल का इसलिए भी स्वागत करता हूं कि इससे बहुत बड़ी राहत मिलती है। लेकिन एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। मैंने पहले भी जब माइकम अमेंडमेन्ट बिल आया था, तब भी कहा था कि वेलफेयर इंस्पेक्टर, वेलफेयर आफिसर्स जो हैं, उनको कुछ अधिकार दिए जाएं, ताकि वे यह देख सकें कि मजदूरों को समय पर वेतन मिल रहा है या नहीं। वेतन पूरा दिया जाता है या नहीं। कोई ज्यादा डिडक्शंस तो नहीं किए जा रहे हैं। रीजिनल कमिशनर जो आपने बिठाए हुए हैं, वे बड़े-बड़े पूंजीपतियों से मिल जाते हैं और मजदूरों की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए इन सारी चीजों को वेलफेयर एक्टीविटीज के साथ-साथ देखने के लिए वेलफेयर आफिसर और वेलफेयर इंस्पेक्टर को कुछ अधिकार देने की आवश्यकता है। माइका के अन्दर मैंने देखा है कि जो मिनिमम वेज आपने 10-11 रुपये तय की है, उसके बजाए 6-7 रुपए मजदूरों को दिये जाते हैं और दस्तखत पूरे पैसों पर करा लिए जाते हैं। इन सब चीजों को रोकने के लिए इस तरह का प्रावधान करना आवश्यक है। मुझे आशा है कि उनकी तकलीफों को दूर करने में वेलफेयर आफिसर अच्छा काम कर सकते हैं।

सभापति महोदय, इस बिल में पैसा खर्च करने के लिए कुछ आइटम्स मुकरर किए गए हैं, लेकिन वसूली बहुत सारी चीजों के लिए की गई है। मैं यह नहीं कहता हूं कि पैसा वसूल नहीं करना चाहिए, इससे तो हमको फायदा होगा, लेकिन पैसा

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

वसूल करने में गड़बड़-घोटाले बहुत होते हैं। इन सब चीजों को देखने की बहुत सख्त आवश्यकता है। अगर कानून कायदों में कुछ गड़बड़ है तो उसको भी देखना चाहिए।

माननीय मंत्री महोदय, , नहीं थे, मैं उनसे अब एक बात कहना चाहता हूं कि साफ्ट स्टोन मेरे यहां बहुत तादाद में निकलता है, उसको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। एक ही तरह का मेटीरियल है, एक ही स्थान से निकलता है। कहीं पर डोलोमाइट कहीं पर लाइम स्टोन और कहीं पर साफ्ट स्टोन निकल जाता है। उन सब को इन्कलूड करना चाहिए। पहले मुझे कहा गया था कि यह गलती से रह गया है, इसलिये आइन्दा अलग बिल लाकर कुछ व्यवस्था करेंगे। आजाद साहब जब श्रम मंत्री थे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह आइटम भी आप को ध्यान में रखना चाहिये और जल्दी से जल्दी इसके सम्बन्ध में इस प्रकार की व्यवस्था कीजिए, जिससे उन लोगों कि वेलफेयर एक्टीविटीज का फायदा मिल सके।

मकानों के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। लाइम स्टोन में काम करने वालों मजदूरों की बहुत दुर्दशा है। शहरों की गन्दी बस्तियों की तरह वहां पर हजारों मजदूर रहते हैं। ठेकेदारों की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये चाहे मालिक इस प्रकार की व्यवस्था करें या किसी फण्ड से व्यवस्था की जाए। कम से कम वे शेड बनाकर तो रह सकें, इस प्रकार की व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए। नहीं तो बरसात और सर्दी में कितनी तकलीफ होती है, इसको आप समझ सकते हैं। अभी तक कोई प्रावधान नहीं है। माइका माइन्स में आपने 5-6 सौ रूपया प्रोवाइड किया है। इतने में क्या रहने की व्यवस्था हो सकती है? इस प्रकार की व्यवस्था कीजिये ताकि हजारों की तदाद में जो ये मजदूर हैं, इनको रहने की सुविधा मिल सके।

इसी प्रकार वेलफेयर एक्टीविटीज में रीक्रिएशन, खेलकूद, एडल्ट एजूकेशन और अन्य प्रकार की जो कार्यवाहियां चलती हैं वे सिर्फ अफसरों के बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए, मजदूरों के बच्चों के लिए होनी चाहिए। कई जगह मैंने देखा है कि खेलकूद की जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं, उनसे सिर्फ अधिकारियों के बच्चे खेलते हैं। अफसरों की औरतों के काम में आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।

अभी एक भाई ने कोआप्शन की बात कही। एडवाइजरी कमेटी में प्रत्येक यूनियन, चाहे इंटक हो, एटक हो या कोई भी यूनियन हो, उनके प्रतिनिधि मेम्बरशिप के आधार पर उसमें रहते हैं। कहा गया कि चुनाव के जरिए से आने चाहिएं, चुनाव के जरिए उनकी बात करने के लिए तो हम यहां पर बैठे हैं। इसलिए जो व्यवस्था की गई है मेम्बरशिप के आधार पर प्रतिनिधित्व देने की, यह बिल्कुल ठीक है।

मुझे आशा है कि मजदूरों की सुविधाओं के लिए मैंने जो निवेदन किया है, उनको उपलब्ध करवाने की कृपा करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री त्रिलोक चन्द्र (खुर्जा): सभापति महोदय, यह जो बिल लाया गया है, देखने में बहुत अच्छा है और जहां तक गवर्नमेन्ट की भावना का सवाल है वह भी ठीक है। मैं मंत्री जी से एक ही बात पूछना चाहता हूं कुछ कहने से पहले, दस साल का समय बीत गया। 1972 में यह एक्ट पास हुआ और उसमें चूना-पत्थर और डोलोमाइट की खान में काम करने वाले मजदूर थे जो इसके अन्तर्गत नहीं आते थे। लेकिन, 1972 से दस साल तक क्यों सोचते रहे और जो अब लाने की कोशिश की गई। मैं इसका एक ही कारण समझता हूं कि गवर्नमेन्ट ने सेस तो इकट्ठा कर लिया एक्साइज ड्यूटी लगाकर और जब वे लोग कोर्ट में पहुंच गए तो रेगुलाराइज करने के लिए आप यह संशोधन लाए। इसमें मजदूरों के ज्यादा वैलफेयर की बात होगी, उससे मैं इत्तफाक नहीं करता/या मजदूरों के हित की बात होती तो गवर्नमेन्ट इसे पहले ही ले आती। जब तक लाइम-स्टोन और डोलोमाइट की खान के मालिक कोर्ट में नहीं

गए तब तक बिल में संशोधन नहीं हुआ और आपने इसकी डैफिनिशन को बढ़ाकर यह दिखाया है कि इसमें ज्यादा मजदूरों का हित होगा, ऐसा इससे महसूस होता है।

मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा, जो सेस इकट्ठा हुआ था 20 पैसा प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से, पर इगर इक्ट्ठा होता है, और संशोधन न होता तो हमको सब लौटाना पड़ेगा।

मैं आपसे पूछना चाहिता हूं कि जब आपने सैस लगा दिया तो उस सैस का कैसे यूटिलाइजेशन किया मजदूरों में जैसा व्यास जी कहते हैं। मुझे तो मजदूरों की खान का पता नहीं है और न मजदूरों की यूनियन से मैं सम्बद्ध रहा। देहरादून में मजदूरों की हालत देखने लायक है। इतनी बुरी हालत है, पता नहीं ठेकेदार लोग कैसे काम कराते हैं। वहां ऐसी लेबर थोड़ी है, जो आपके रजिस्टर पर चढ़ी हो। जब चाहे रख लिया और जब चाहे निकाल दिया। जो आपकी फीगर्स हैं, वह उन लोगों की होंगी जो रेगुलर तरीके से काम करते हैं। बहुत सी खानें ऐसी हैं जहां रेगुलर तरीके से नहीं होता। यह व्यवस्था आपकी इन खानों के मजदूरों की है। जो लोहे की और कोयले की खानें हैं, उनमें मजदूरों की कन्डीशन में और खनिजों के मजदूरों की कन्डीशन में बहुत बड़ा फर्क है। उन मजदूरों को पूरी सुविधा नहीं मिलती है। जो कोयले और लोहे की खानों में काम करते हैं उनकी कुछ सुविधा नहीं मिलती है।

मैंने मिर्जापुर में देखा है, वहां फैक्टरी में मजदूरों को जो पैसा दिया जाता है उनकी बदतर कंडीशन है। मजदूरों के लिए खानें, पहनने और कोई सुविधा नाम की चीज नहीं, दवा-दारू छोड़िए, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है।

मंत्री जी इस बात की जांच करा लें कि जितना पैसा सैस से इकट्ठा हुआ, उसका सदुपयोग हुआ या नहीं या उसका दुरुपयोग हुआ। सैस क्यों लगाया जब मजदूरों को उसका लाभ नहीं है। मैं समझता हूं, उसको जरूर खर्च कर लिया होगा, उसका मिस-यूटिलाइजेशन हो गया होगा। खुले-आम नहीं होता है, डाइरेक्ट नहीं होता है लेकिन थोड़ा बहुत जरूर है। मजदूरों के नाम पर पूरा का पूरा तो नहीं दिया जाता।

जहां तक इस बिल की भावना का सम्बन्ध है जैसे मैंने पहले कहा वह बहुत अच्छी है। लेकिन आप एडवाइजरी बोर्ड बना रहे हैं। पहले भी था। आपने कहा है कि इस में मैम्बर कोओप्ट होगा। वह कहां से होगा, कौन होगा? आप कहते हैं एक्सपर्ट भी हो सकता है, मजदूरों में स भी हो सकता है, राज नोताओं में से भी हो सकता है। लेकिन इस में कहीं कोई प्राविजन इस बात का नहीं है कि किस को किया जाएगा। कोओप्ट करना है तो मजदूरों का करिये। जब भी निगम बनते हैं और उनके लिए एडवाइजरी बोर्ड आप बनाते हैं तो देखा यह गया है कि आई ए एस या पी सी एस को उठा करके वहां आप बिठा देते हैं, जो कहीं फिट नहीं हो रहा होता है उसको वहां फिट कर देते हैं, रिजेक्टड तरीके के जो अफसर होते हैं उनको यहां चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, कि जाओ और मौज करो। यह एक परिपाटी सी हो गई है कि जब भी निगम बनते हैं, संस्थायें बनती हैं तो उनमें ज्यादा से ज्यादा अफसरों का आपेशन हो जाता है, उनका नामिनेशन हो जाता है। यहां मैं चाहता हूं कि साफ किया जाए कि किस का रिप्रिजेंटेटिव होगा, फिर चाहे किसी का भी आप करें, अफसरों को करना चाहते हैं तो उनको करें, कोई दिक्कत नहीं है, आई ए एस का करना चाहते हैं तो उसका करें। इसको साफ कर दिया जाना चाहिये। एडवाइजरी बोर्ड्ज को थोड़ा सा बचा कर भी रखना चाहिए, उनको थोड़ी सी ताकत भी देनी चाहिये। ताकत नहीं देंगे तो वे हिम्मत से काम नहीं कर सकेंगें। हमने पार्लियामेंटरी कमेटीज में देखा है, कंसलटेटिव कमेटीज में देखा है और उनकी कुछ अहमियत नहीं है। मैं पार्लियामेन्ट में पहली बार आया हूं। असम्बली में मैं रहा हूं। वह छोटी होती है। तब भी मैंने इन एडवाइजरी कमेटीज को देखा है, इनकी अहमियत को देखा है। मुझे तो कुछ अहमियत इनकी दिखाई नहीं दी। पार्लियामेन्ट की भी एडवाइजरी कमेटीज

[श्री त्रिलोक चन्द्र]

को देखा है, कंसलटैटिव कमेटीज को देखा है, वे भी कोई ज्यादा कारगर नहीं हैं। वहां बात करने का हक हासिल जरूर हो जाता है लेकिन उसका कुछ नोटिस नहीं लिया जाता है। एडवाइजरी बोर्ड बनाने का लाभ क्या है? मैंने तो देखा है कि जो इम्पार्टेंट कमेटीज हैं उनका भी कोई लाभ नहीं है। वहां जरा से रहस्य खुल जाते हैं, जरा सी परेशानी हो जाती है और कुछ नहीं। एडवाइजरी बोर्ड बनाना है तो ताकतवर बनाइए ताकि वह कुछ काम कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आएं वे टी ए और डी ए सीधा करें और चले जाएं। जैसे कंसलटेटीव कमेटीज का होता है कि आए और चले गए, स्टाफ परेशान हुआ कि मीटिंग हो रही है, बोले और चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्शन और रिएक्शन का कुछ यहां पता नहीं लग सकता है। मुल्क का पैसा खर्च होगा इस पर तो दिखाई भी देना चाहिए कि मुल्क का इससे भला होगा। वहां जो बात हो उसका रिएक्शन और एक्शन जो हो उसका भी पता लगना चाहिए।

कानून से कुछ नहीं होगा। मजदूरों की हालत को मंत्री जी भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। हम दोनों मजदूर परिवार से आते हैं। बड़े परिवार के हम नहीं हैं। उनको भी मालूम है कि मजदूरों की हालत क्या है। लाइम स्टोन, डोलोमाइट की खानें बहुत छोटी खानें होती हैं। आपने सेंस की बात की है। अब आप देखें कि डोलोमाइट किस काम में आएगा। शूगर बनाने में, पेपर बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में और कैमिकल बनाने में आएगा। आपने जो सेंस लगाया है क्या आप यह समझते हैं कि डोलोमाइट खानों के मालिकों पर इसका असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। यह प्रभावित करेगा उन चीजों के दामों को जिन पर यह सैंस लगेगा यानी कैमिकल्ज, दवाओं फर्टिलाइजर, पेपर, शूगर आदि के दामों को। इन चीजों के उत्पादन में अब तक भी डोलोमाइट यूज होता था। जितना सेंस आप लगा रहे हैं इससे दुगुना इन वस्तुओं का उत्पादन करने वाले लोग मुनाफा कमा लेंगे। यह जो एक्साइज ड्यूटी लगेगी इस से इन चीजों की कीमतों पर भी असर पड़ेगा। उन की कीमतें वैसे ही बढ़ रही हैं। एक्साइज लगाने से और भी ज्यादा बढ़ेंगी। इस वास्ते इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिये।

पुनः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मजदूरों की हालत को वह देखें। उनका जो हक है वह उनको मिलना चाहिये। कानून बदलने से ज्यादा लाभ नहीं होगा।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा): सभापति महोदय, चूना पत्थर डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि विधेयक, 1982 का मैं समर्थन करता हूं क्योंकि यह श्रमिकों के हित के लिये किया जा रहा है। फिर भी जितना होना चाहिए उस स्थिति में इसमें संशोधन नहीं किया जा रहा है। सारे देश में चूना पत्थर और डोलोमाइट खानों में काम करने वाले 58,000 श्रमिक हैं जो डायरेक्ट और कांट्रेक्ट लेबर, मिला जुला कर हैं। और बिहार, मध्य प्रदेश, यू. पी. यह अधिक मात्रा में हैं। डोलोमाइट चूना पत्थर, लोहा, इस्पात और सीमेंट बनाने में काम आता है। इसका फर्टिलाइजर, कागज और चीनी में भी प्रयोग होता है। मंत्री जी ने इसके स्कोप को भी बढ़ा दिया है, परिभाषा में जो पहले अस्पष्ट थी उसको अब स्पष्ट कर दिया है। कोई भी चीज जो इसके द्वारा निर्माण होगी उस पर भी सैस लगाया जा सकता है। इन सब कारणों से सैस की मात्रा बढ़ाने का प्रयास किया है।

जितनी श्रमिकों की संख्या है उनकी हालत बहुत जगह दयनीय है। जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा है इन खानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत दयनीय है। आप खान पर जा कर देखिये बेचारे नंगे बदन पत्थर तोड़ते हुए मिलेंगे। उनके शरीर पर चोटें आती हैं, लेकिन उनके वेलफेयर का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। मैं पलामू जिले में भवनाथपुर प्रोजेक्ट देखने गया था, क्योंकि मेरा बी. एम. एस. से सम्बन्ध है, वहां मैंने देखा उनके कल्याण की कोई व्यवस्था नहीं है। न जाने सैस कहां खर्च होता है? 15, 16 सालों से यह चल रहा है, न उनके लिए अस्पताल है, न बच्चों के लिए कोई स्कूल, न आवास की व्यवस्था और न परिवार के अन्य सदस्यों

को कोई और ट्रेनिंग दे कर जिससे मजदूर के जीवन से बच कर आदमी बन सकें ऐसी कोई टेक्नीकल शिक्षा की व्यवस्था है। सुदूर पर्वतों के बीच में उनकी झुग्गी झोपड़ी भी नहीं है, बेचारे घास फूस की कुटिया बना कर रहते हैं सैंकड़ों, हजारों की तादाद में, और उसमें से बहुत कम लोगों का एनेरालमेंट किया है, शेष को कांट्रेक्ट पर छोड़ दिया गया है जिससे कांट्रेक्टर लोग उनका शोषण कर रहे हैं। पलामू के अन्य कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को माइन्स अलाउन्स मिलता है, स्टील और सीमेन्ट प्लान्ट्स की जो कैप्टिव माइन्स हैं, जैसे गिरिबूरू में माइन्स भत्ता मिलता है, भिलाई के स्टील प्लान्ट की बुन्दनी, हीरा, राझेरा, दुर्गापुर स्टील प्लान्ट की गुलाबी, और बोकारो स्टील प्लान्ट की डोलोमाइट और चूना पत्थर खानों पर काम करने वालों को भत्ता मिलता है, लेकिन भवनाथपुर में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां के लिए न अस्पताल की व्यवस्था है, न मजदूरों के रहने और शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था है। सारे लोग मलेरिया से ग्रस्त हैं। आप 15 बरस होने के बाद भी वहां पर डाक्टर नहीं है। मैंने वहां के व्यवस्थापक को बहुत जोर दिया है तो उन्होंने डाक्टर के लिए लिखा है। उन लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कांट्रेक्ट लेबर के रूप में उनसे सारा काम लिया जा रहा है। उनका नाम लिस्ट में भी नहीं है। मंत्री जी जवाब में यह बताने की कृपा करें कि उन मजदूरों को कांट्रेक्ट लेबर से कब मुक्ति दिला रहे हैं और उनके लिए भी माइन्स भत्ता दिलवाने की व्यवस्था करें।

सलाहकार समिति जो आप बना रहे हैं, उसमें श्रमिकों का कोई प्रतिनिधि नहीं है। बिल में स्पष्ट नहीं है कि सलाहकार समिति के कौन मेम्बर होंगे। यह जरूरी है कि मजदूरों के नेताओं में से ही उसमें मजदूर प्रतिनिधि हों। खाली बड़े लोग या बड़े अधिकारी ही उस समिति में होंगे तो वहां मजदूर की पहुंच नहीं हो पाती है। इसलिए श्रमिकों का प्रतिनिधित्व निश्चित रूप से इस सलाहकार समिति में होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो यह सैस का दुरुपयोग होगा।

मैं एक महीना पहले भवनाथपुर देखकर आया हूं, वहां कोई व्यवस्था नहीं है। वहां ऐसी दुर्दशा है कि मजदूर को 10, 10 मील से पैदल या साइकिल पर चलकर आना पड़ता है। उसको कोई साइकिल एलाउन्स भी नहीं मिलता है। बस की भी व्यवस्था नहीं है जिससे वह आ सके। देहात में ऐसे लोग हैं जो चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान में काम करते हैं, उनके लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

भवनाथपुर प्रोजेक्ट में जितने स्टील प्लान्ट्स और उनकी कैप्टिव माइन्स हैं, उनमें मजदूरों के लिए जो व्यवस्था है, वह डोलोमाइट खान में मजदूरों के लिए व्यवस्था करें। उनके साथ सौतेला व्यवहार समाप्त करना अत्यन्त आवश्यक है।

11.58 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*].

जब हम सलाहकार समिति बना रहे हैं, जिसमें मजदूरों के प्रतिनिधि और अधिकारी वर्ग का होना आवश्यक है ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके, जब इतना इसका स्कोप बढ़ा रहे हैं, तो इसमें काफी रकम आ सकती है, लेकिन इस कोष का सदुपयोग कैसे करेंगे, इसकी गारन्टी कैसे देंगे, इसका कहीं प्रावधान नहीं है। इसका भी जिक्र होना चाहिए।

मजदूरों में थोड़ा चूड़ा या बिस्कुट बांटकर बाकी का सब अधिकारी वर्ग हजम कर जाते हैं। इसमें मजदूर प्रतिनिधियों को भी साथ रखने की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन इसकी कहीं गुंजाइश नहीं है।

मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस दिशा में विचार करें और मजदूरों को राहत देने के लिए जो राशि हो, उसका सदुपयोग करें और जितना पहले एक रुपए मांग की जा रही थी, सैस उससे ज्यादा

[श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा]

भी लगा सकते हैं। 58 हजार मजदूरों के परिवार मिलाकर 2 लाख लोग हो जाते हैं।

14.00 hrs

ताकि 2 लाख लोग अपने जीवन को अच्छी तरह बिता सकें और उन मजदूरों की जो दयनीय अवस्था है, उसमें सुधार आ सके। इस दिशा में आपको कारगर कदम उठाने चाहिएं। साथ ही साथ, पलामू के भवनाथपुर चूना पत्थर और डोलोमाइट माइन्स में काम करने वाले मजदूरों को भी वैसा वेतन और दूसरी सुविधाएं जैसा वेतन और सुविधाएं दूसरे स्थानों पर काम करने वाले मजदूरों को मिलती हैं। क्योंकि वह इलाका डेवलप्ड नहीं है, काफी समय से नैग्लैक्टिड रहा है और बहुत पिछड़ा हुआ है। यदि आप उनके लिए ऐसी सुविधाएं नहीं देते, वेतन नहीं देते तो यह उन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार होगा। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस पर विचार कर उचित पग उठाएंगे।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, इस हाउस में जो चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका समर्थन करता हूं और स्वागत भी करता हूं। श्रमिकों के कल्याण के लिए हम जितने भी कार्यक्रम हाथ में लेते हैं, प्रजातंत्र को हम उतना ही मजबूत करते हैं, जितना हमारे सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होता है, हमारे देश में उतनी ही सामाजिक क्रांति आती है। इस कानून के अंतर्गत इस विधेयक के द्वारा हम जितने संशोधन करने जा रहे हैं, वे सभी परिवर्तन स्वागत योग्य हैं।

चूना-पत्थर के बारे में पहले कोई निश्चित डैफीनीशन नहीं थी। इस विधेयक के पारित होने के बाद अब स्थिति बिल्कुल साफ हो जाती है। जिन फैक्टरियों में पहले चूने के पत्थर का उपयोग सीमेंट, लोहा और इस्पात आदि के लिए किया जाता था, या डोलोमाइट का प्रयोग होता था, अब उसका क्षेत्र व्यापक बना दिया गया है। उसके क्षेत्र को बढ़ा कर अब उसमें लोहा, मिश्र धातु, रसायन, चीनी, कागज, उर्वरक, लौह अयस्क तथा पैलैयेसेशन आदि कर दिया गया है। इन सब चीजों के बढ़ने से हमारी आय में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। जब हमारी आय बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हम श्रमिकों के कल्याण के बारे में योजनाएं बनाने की स्थिति में हो जाएंगे।

अभी यहां पर एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि इसमें श्रमिकों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि उन्होंने ओरीजीनल एक्ट को पढ़ा नहीं है। इसीलिए उनको पूरी जानकारी नहीं है। ओरीजीनल एक्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि --

'The Central Advisory Committee shall consist of such number of Members as may be appointed to it by the Central Government and the Members shall be chosen in such manner as may be prescribed;

Provided that the Central Advisory Committee shall include an equal number of Members representing the Government the owners of Limestone and Dolomit mines, and the persons employed in tee Limestone and Dolomite mines.

14.00 hrs.

The Chairman of the Central Advisory Committee shall be appointed by the Central Government.'

इससे स्पष्ट है कि इस में श्रमिकों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाएगा और उन्हें भी गवर्नमेन्ट के प्रतिनिधियों के साथ तथा एम्पालायर्स के प्रतिनिधियों के साथ भाग लेने का मौका मिलेगा। उनको भी कोआप्शन का अधिकार दिया गया है। इससे उनकी संख्या भी आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाई जा सकती है। कोआप्शन होने के कारण इस एडवाइजरी कमेटी में योग्य व्यक्तियों को भी लिया जा सकेगा, जिनको इस लाइन का अनुभव होगा, जिनको अच्छी जानकारी होगी। ऐसा प्रावधान भी इस विधेयक में रखा गया है। ऐसे प्रावधान के कारण इसकी महत्ता बढ़ जाती है।

अब प्रश्न उठता है कि इस विधेयक के पास होने के बाद जो लाइम स्टोन और डोलोमाइट माइन्स लेबर वैल्फेयर फण्ड बनाया जाएगा, उसका किसी भी प्रकार से दुरुपयोग न हो। उसको सही तरीके से उपयोग में लाया जाए। उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। समय-समय पर उसका निरीक्षण हो और किसी समय यदि कोई त्रुटि नजर आती है तो उसको दूर करने की कार्यवाही की जाए। वैसे मैंने सारे सैक्शन्स को पढ़ा है और इसमें कोई प्रतिकूल प्रावधान नहीं है। कोई भी कोष, निधि या फण्ड जब बनता है तो उसका उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि उसका उपयोग श्रमिकों के कल्याण कार्यों के लिए किया जाए। श्रमिकों के स्वास्थ्य, चिकित्सा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये उपयोग किया जाए। जितने हमारे कारखानों या माइन्स में काम करने वाले श्रमिक हैं, उनको इससे फायदा पहुंचाया जा सके। आज हम देखते हैं कि हमारे श्रमिकों को उतना वेतन नहीं मिल पाता जिससे वे आसानी से अपना जीवन निर्वाह कर सकें। उनको कई आवश्यक सुविधाएं भी समय पर उपलब्ध नहीं हो पातीं। इसीलिए यह विधेयक यहां पर लाया गया है ताकि उनको आवश्यक सुविधाएं देने के साथ-साथ उनके उत्साह को बढ़ाया जाए, उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जाएं, उनको क्रियान्वित करके वे उत्साह से काम करें।

इन्हीं शब्दों के साथ, जो विधेयक यहां उपस्थित किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर): उपाध्यक्ष महोदय, लाइम-स्टोन एण्ड डोलोमाइट माइन्स लेबर वैल्फेयर फण्ड एक्ट के संशोधन विधेयक पर बहुत से माननीय सदस्यों ने जो अपने बहुमूल्य सुझाव दिए मैं उनका स्वागत करता हूं जैसा कि इस संशोधन विधेयक से स्पष्ट है, इसमें जितने भी संशोधन हैं, वे सब मजदूरों के हित के लिए लाए गए हैं। इस संशोधन विधेयक के द्वारा एक्ट में कोई बहुत बड़ा प्रावधान नहीं किया जा रहा है। इस के द्वारा सिर्फ श्रमिकों के हित में जो कुछ किया जा सकता है, उसी को करने का प्रयास किया गया है। शासन का उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि श्रमिकों का हित किस प्रकार अधिक से अधिक किया जा सकता है। हम हमेशा इस पर विचार करते रहते हैं और इस सदन के समक्ष समर्थन प्राप्त करने के लिए समय समय पर आते रहते हैं। यह सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है। जैसा कि हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि हम 10 वर्ष की लम्बी अवधि के पश्चात् श्रमिकों के हित में यह विधेयक यहां लाए हैं, क्योंकि 1972 में यह एक्ट बना था। इसके लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्यों कि एक तो इसकी डैफिनीशन का स्कोप ऐसा था जिसको खान मालिकों ने चुनौती दी थी और उसके कारण हमारा काफी बड़ा बकाया (एरियर) रुक गया था। इस विधेयक के जरिए हमने उस सीमा को बढ़ाया है। अब तक यह एक्ट चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान में काम करने वाले श्रमिकों के लिए ही था और दूसरी सी-सैंड, कालकेरस सैंड, लाइम शैल्स आदि की जितनी भी किस्में थीं, उन पर किसी प्रकार का सैस वसूल नहीं होता था। इसलिए उन पर सैस लागू करने के उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है। ताकि इसके जरिए अधिक से अधिक सैस हमें प्राप्त हो सके और हम मजदूरों के हित में काम कर सकें। इसी उद्देश्य के लिए यह संशोधन लाया गया है।

अभी हमारे माननीय अजित बाग जी ने यह शंका प्रकट की कि इस माइन्स लेबर वैल्फेयर फण्ड के द्वारा मजदूरों को वे सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाएंगी, जो कि होनी चाहिएं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस फण्ड के जरिए, उन 5 हजार मजदूरों को भी फायदा होगा, जो कि अभी तक इन सुविधाओं से वंचित थे। इसका स्कोप बढ़ जाने से बाकी बचे मजदूरों का भी हित होने वाला है। अब उनको भी वे सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी, जो कि लाइमस्टोन और डोलोमाइट खान में काम करने वाले मजदूरों

[श्री धर्मवीर]

को प्राप्त थी। जैसा मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया लाइम-स्टोन खानों में हमारे यहां लगभग 50 हजार मजदूर काम करते हैं, एक्चुअल फीगर्स 49,752 हैं और डोलोमाइट खानों में काम करने वालों की संख्या 7527 है। इस विधेयक के पास हो जाने से इनके अतिरिक्त 4978 श्रमिकों को और फायदा होगा जो कि लाईम शैल तथा अन्य कालकैरियस सैंड इत्यादि को निकालने का काम करते हैं, जहां तक प्रोडक्शन का सम्बन्ध है, 1980 में लाइमस्टोन का प्रोडक्शन 27,956,000 टन, डोलोमाइट का 1,308,000 टन और कैलकैरियस सैंड, लाइम-कंकर, कंकर, लाइमशैल का 1,948,000 टन था।

एक्ट के अन्तर्गत 1 रुपया प्रति मीट्रिक टन के सेंस का प्रावधान है। लेकिन सेंस का वर्तमान रेट 20 पैसा प्रति मीट्रिक टन है। इस सेस को लगाने से जो फंड इक्ट्ठा होता है, उसके द्वारा मजदूरों के वैल-फेयर के काम किये जाते हैं, उनके दवा दारू की व्यवस्था की जाती है और डिसपेंसरियां खोली जाती हैं। अभी तक पांच रीजन्स हैं : इलाहाबाद, बंगलोर, भीलवाड़ा, भुवनेश्वर और जबलपुर। जहां जहां ये खानें हैं, वहां हमने मैडिकल फैसिलिटीज दे रखी हैं।

एक स्टैटिक-कम-मोबाइल डिसपेंसरी देहरादून में है। एक मोबाइल मैडिकल यूनिट मिर्जापुर में है। एक मोबाइल मैडिकल यूनिट रोहतास, बिहार में काम करता है। एक मोबाइल मैडिकल यूनिट भवनाथपुर, डिस्ट्रिक्ट पालामू में है। श्री वर्मा ने कहां है कि आदिवासी क्षेत्र की उपेक्षा हो रही है। वहां पर भी श्रमिकों के दवा-दारू का इन्तजाम है।

श्री शिव प्रसाद साहू (रांची): पालामू में नाम के लिए डिसपेन्सरी है। वह नहीं के बराबर है।

श्री धर्मवीर : मेरा तात्पर्य यह है कि वहां व्यवस्था कम हो सकती है, लेकिन वह क्षेत्र उपेक्षित नहीं है।

जहां तक भीलवाड़ा का सम्बन्ध है, एक एलोपैथिक डिसपेंसरी डूंगरपुर क्वैरी, डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़ में है। एक स्टैटिक-कम-मोबाइल मैडिकल डिसपेंसरी पोरबंदर के नजदीक रनावाव, डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़ में है। एक मोबाइल डिसपेंसरी गडू, डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़ में है। एक मोबाइल मैडिकल डिसपेंसरी सतलखेरी, डिस्ट्रिक्ट कोटा, राजस्थान में है। इसी तरह एक मोबाइल मैडिकल डिसपेंसरी चरखी-दादरी में और एक मोबाइल डिसपेंसरी चंदरेया में काम कर रही है।

डिस्ट्रिक्ट बड़ोदा, डिस्ट्रिक्ट जयपुर, डिस्ट्रिक्ट नागपुर, डिस्ट्रिक्ट पाली और लखेरी में एक आयुर्वेदिक डिसपेन्सरी है।

भुवनेश्वर में भी मैटर्नटी-कम-चाइल्ड वैल-फेयर सेन्टर और मोबाइल मैडिकल डिसपेन्सारी है। जबलपुर में भी बहुत सी डिसपेन्सारीज हैं।

माननीय सदस्य ने कहा है कि टी बी पेशेंट्स के लिए सुविधा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि धूल से श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उनको चर्म रोग हो जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि टी बी पेशेंट्स के इलाज की व्यवस्था भी की गई है। हम सतत प्रयत्नशील रहते हैं कि श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े।

सीरियस और फेटल एक्सिडेंट्स होने पर श्रमिकों और उनके आश्रितों को इस फंड के द्वारा सहायता दी जाती है।

जहां तक एजूकेशनल फैसिलिटीज का सम्बन्ध है, स्कालरशिप का रेट भले ही कम समझा जा सकता है, लेकिन हम 10 रुपए से ले कर 75 रुपए माहवार तक छात्रवृति के रूप में देते हैं, ताकि गरीब श्रमिकों के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें।

श्रमिकों के मनोरंजन के लिये मोबाइल सिनेमा यूनिट्स की व्यवस्था है। जबलपुर में 1, भुवनेश्वर में 1, इलाहाबाद में 4, बंगलोर में 3 मोबाइल सिनेमा यूनिट काम

कर रहे हैं। पुरी, उड़ीसा में एक हालिडे होम बनाया गया है, जहां श्रमिक लोग ठहर सकते हैं।

पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 13 योजनाएं काम कर रही हैं, जिनमें से 3 जबलपुर रिजन में, 1 इलाहाबाद में, 3 बंगलौर में और 6 भुवनेश्वर में हैं। आठ और कुओं के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। और इसके लिए योजना तैयार हो गई है उसको हम चलाएंगे। रहने की व्यवस्था के बारे में व्यास जी ने कहा था। चूंकि वे माइका माइन्स वेलफेयर कमेटी के माननीय सदस्य हैं, वहां उन्होंने इस बात को उठाया था। जैसा कि आप जानते हैं हम उनको इस सम्बन्ध में 75 प्रतिशत सहायता देते हैं। जो भी सहायता हम देते हैं। इससे उनके लिये मकान बनाये जाते हैं। 1905 मकान तो तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा 'बिल्ड योर ओन हाउस' स्कीम के अन्तर्गत 1500 रुपये की सहायता दी जाती है-600 रुपया सब्सीडी के तौर पर और 900 रुपया बिना ब्याज के दिया जाता है ताकि वे अपनी जमीन पर मकान बनाकर रहने की सुविधा प्राप्त कर सकें।

मैं माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं और निवेदन करता हूं कि जो संशोधन यहां पर हमने पेश किया है इसे वे स्वीकृत कर हमारा उत्साहवर्धन करें। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि इस वेलफेयर फण्ड का सही सही कलेक्शन किया जाता है और उसका हिसाब रखा जाता है।

जहां तक एडवाइजरी कमेटी का सम्बन्ध है, उसमें बराबर-बराबर प्रतिनिधित्व रहता है, मजदूरों की तरफ से, खान की तरफ से और साथ ही उसमें कुछ ऐसे योग्य लोगों की आवश्यकता पड़ जाती है जिनकी राय से श्रमिकों के कल्याण की योजनायें भली भांति चलाई जा सकें। इसलिये इसमें कुछ ऐसे एक्सपर्ट लोगों को कोआप्ट करने का प्राविजन रखा गया है। (व्यवधान) साफ्ट स्टोन के बारे में व्यास जी ने जो प्रश्न उठाया था वह विचाराधीन है। उसके सुझाव का हम स्वागत करते हैं। शासन ने एक स्तर पर तो उसको स्वीकार कर लिया है और उस सम्बन्ध में वैधानिक प्रक्रियायें चल रही हैं। मुझे विश्वास है कि उसको भी किसी न किसी कल्याण निधि के अन्तर्गत लाया जा सकेगा।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस बिल का समर्थन किया और मुझे विश्वास है कि आगे भी इस कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में वे हमारा उत्साहवर्धन करेंगे।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill to amend the Limestone and Dolomite Miness Labour Welfare Fund Act 1972, be taken into consideration."

The motion was adopted

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, we take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is :

"That Clauses 2, 3 and 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted

Clauses 2, 3 and 4 were added to the Bill.

Clause 5—Insertion of new Section 7A.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Sudhir Giri. You may speak on your amendment.

SHRI SUDHIR GIRI (Contai) : Sir, the hon. Minister has admitted that the knowledgeable persons shall be co-opeted in the Board.

To plug this loophole that no such person should be coopeted who is not well-conversant with the affairs relating the Welfare Fund, I have brought this amendmet. Sir, on many an occasion, it has been found that in the name of knowledgeable persons, some patronaged people had been co-opted in some Welfare Fund Boards. That should not be done. But , actually, the well-

[Shri Sudhir Giri]]

conversant people in the development of welfare activities of these workers should also be coopeted in the Board.

For this purpose, I have brought forward this amendment. I request the hon. Minister to accept my amendment. I beg to move:

Page 2,

after line 9, *insert* -

"Provided that the person or persons so co-opted shall be well conversant with the affairs relating to the welfare fund."[1]

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the Minister.

श्री धर्मवीर : मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एडवाजरी कमेटी में जो सदस्य कोआप्ट किये जाते हैं वह निश्चित रूप से नियमों के अनुसार किये जाते हैं ताकि उसकी एक्सपर्ट राय और सहयोग मजदूरों के लाभ के लिए प्राप्त हो सके। माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उससे यहां पर कोई विशेष समाधान नहीं निकलता है। दूसरी कमेटीज को भी इस प्रकार का अधिकार मिला हुआ है और उसमें एक्सपर्ट ही कोआप्ट किये जाते हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put the amendment No. 1 moved by Shri Sudhir Giri to the vote of the House.

Amendment No. 1 was put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That Clause 5 stand part of the Bill."

The motion was adopted

Clause 5 was added to the Bill.

Clauses 6 and 7 were added to the Bill.

Clause 8—**Validation**

SHRI SUDHIR GIRI: I beg to move:

Page 3,—

after line 8, *insert*—

"Provided that such recoveries shall be effected with immediatone effect and credited to the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund."[2]

The workers working in the Mines work at the risk of their own life. They do not get proper remuneration. In spite of all these, the mine-owners are exploiting the workers and they are amassing wealth. The Government has brought forward this Bill for the sake of doing some welfare measures for the workers. The recoveries which are due from the mine-owners should be recovered immediately so that the money could be credited to the Welfare Fund of the workers. I have brought forward this amendment so that the workers are benefited. I would request the hon. Minister to accede to my request.

श्री धर्मवीर: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो शंका व्यक्त की है, इस फण्ड का पैसा तुरन्त वसूल नहीं होता है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे ही यह नियम पास हो जाएगा, वैसे ही पैसा वसूल होने लगेगा। एक-एक पैसा श्रमिकों के कल्याण के लिए है। जहां कि श्रमिकों के शोषण और उनको उचित वेतन न मिलने का प्रश्न है। इस चीज को दूसरे तरीके से देखा जाएगा, लेकिन इस संशोधन से इसका अभिप्राय नहीं है। इसलिए मैं उन से निवेदन करूंगा कि वे इस संशोधन को वापिस ले लें।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put Amendment No. 2 to Clause 8 moved by Shri Sudhir Kumar Giri to the vote of the House.

Amendment No. 2 was put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That Clause 8 stand part of the Bill."

The motion was adopted

Clause 8 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI DHARAMAVIR): I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill be passed."

Shri Ram Vilas Paswan.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस पर विशेष नहीं बोलना था । अभी-अभी मंत्री महोदय ने अपने जबाव में दो बातें कही हैं । एक तो उन्होंने यह कहा है कि कुल मिलाकर 50 हजार से ज्यादा मजदूर हैं, जिनके लिए यह कानून बना रहे हैं । आपने यह भी कहा है कि अभी तक जो मजदूरों के लिये मकान बनाये गये हैं, वे कुल मिलाकर 1905 हैं। आपने यह भी कहा है कि मजदूरों को मकान के लिए जो हम सहायता दे रहे हैं, वह 1500 रु. है । मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आज कल के युग में क्या 1500 रु. में मकान बन सकता है । अच्छा है, आप मकान का नाम न लें । वह मकान भी किसके द्वारा बनाया जाता है । 1500 रु. देते हैं कन्ट्रैक्टर को उसमें से सात सौ रुपया उसकी जेब में चला जाएगा और बाकी का वह बांस ला कर रखेगा । दूसरी बात आपने पलामू जिले के सम्बन्ध में कहीं है कि वहां हैल्थ की सुविधा है, हास्पिटल है । हकीकत यह नहीं है। कागजों में आपके होगा, लेकिन ऐसी बात है नहीं । इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक मजदूरों का मामला है, इसमें आपको स्वयं दिलचस्पी लेनी चाहिये । आप अपने से दिलचस्पी लें। माइंस के मजदूरों के सम्बन्ध में हम को जानकारी है कि उनका शोषण किया जाता है । यह ठीक है कि जब से माईंस का राष्ट्रीयकरण हुआ है तब से उन्हें कुछ राहत मिली है । अब आपको उनके बारे में यह भी देखना चाहिए कि उन्हें साईकिल भत्ता मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मजदूरों को पूरा वेतन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ।

आपने कहा कि वहां लेबरलाज के मुताबिक काम किया जाता है । जब आप लेबर लाज की बात करते हैं तो क्या आप उनको चूना-पत्थर के मजदूरों के कानून के मुताबिक दे रहे हैं? मुझ को जानकारी है कि इन मजदूरों के बीच में इन लेबर लाज को लागू नहीं किया जा रहा है। इस को भी आप देखें ।

उनके स्वास्थ्य का, हाउसिंग का, साइकिल भत्ते का और दूसरी सुविधाओं का मामला है । उनका स्वास्थ्य काफी दयनीय है वे जिस रूप में वहां काम करते हैं उसमें उनके स्वास्थ्य और जीवन के लिए बहुत ही खतरा है । इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आप इसको भी देखें और उनके लिए अधिक से अधिक पैसे का प्रावधान करें । मजदूरों के लिए अधिक फण्ड की व्यवस्था करने के लिए जब आप हम से सहयोग मांगेंगे तो हम लोग जरूर आपका साथ देंगे । आप यह देखें कि मजदूरों के हितों की सही मायनों में रक्षा हो और उनके लिए निर्धारित धन उनके कार्यों पर ही लगे ।

श्री धर्मबीर: मान्यवर, माननीय, सदस्य ने कहा कि श्रमिकों को सुविधाएं कम हैं। मैं उनसे इतना ही निवेदन करूंगा कि वे भी इस देश के रहने वाले हैं, इस देश की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को वे अच्छी तरह से जानते हैं । हमने भी यह स्वीकार किया है कि यह हमारा केवल प्रयास मात्र है, यह पर्याप्त नहीं है । लेकिन जितनी भी अधिक से अधिक सुविधाएं हम श्रमिक बन्धुओं को दे सकते हैं, उसकी तरफ हमारे कदम हैं । मैं समझता हूं कि उनको सुविधाएं देने के जो भी हमारे प्रयास हैं उनमें आपका हमें सहयोग मिलना चाहिये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

16·10 hrs.

MOTION *RE*: SUSPENSION OF PROVISO TO RULE 66.

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (RAO BIRENDRA SINGH): I beg to move:

> "That this House do suspend the proviso to rule 66 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha in its application to the motions for taking into consideration and passing of the Sugar Cess (Amendmnt) Bill, 1982, and the Sugar Development Fund (Amendment) Bill, 1982."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is :

> "That this house do suspend the proviso to rule 66 of the Rules of Procedure